न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

अवमानना प्रकरण संख्या — 31 / 2016

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1.थानाराम पुत्र दानाजी 2.हेमराज पुत्र दानाजी समस्त जातियान सुथार, निवासी बादनवाडी, तहसील आहोर, जिला जालोर		1.नाथूसिंह पुत्र गणेशाजी, 2.पोपटसिंह पुत्र गणेशाजी, समस्त जातियान राजपुरोहित, निवासी बादनवाडी तहसील आहोर जिला जालोर

अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2–ए सी.पी.सी

उपस्थिति :–
1-श्री बसन्तकुमार गहलोत, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, अभिभाषक, अप्रार्थी सं.1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30.9.2019

1. प्रार्थी के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ग्राम बादनवाडी ,तहसील आहोर के निवासी है,प्रार्थीगण के पिता दानाजी के नाम एक पट्टा सुद भूखण्ड मौजा बादनवाडी में 120 गुण 74 फीट का आया हुआ है जिसके पडौस में उतर में–आम रास्ता, दक्षिण में–पडत खानेडी आबादी भूमि ,पूर्व में–मसरिया पुत्र नवाजी का प्लॉट, पश्चिम में– मेघा पुत्र रतनाजी का प्लोट, के बीच भूखण्ड पर प्रार्थीगण के दादा के समय से पुराना मकान बना हुआ है,जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14.2.1966 को प्रस्ताव अनुसार जारी किया हुआ है,जिसके उतर में आम रास्ता है जो गोदन से बिशनगढ जाने वाली ग्रा सडक जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है, प्रार्थीगण के पुराने बने हुए मकान के आगे 50फीट की दूरी पर सडक बनी हुई है जो शुरू से ही बनी हुई है, दिनांक 9.6.2019को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के मकान व आम सडक के बीच में निर्माण काय्र करने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को निर्माण कार्य करने से मना करने पर अप्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा सं. 15 दि. 19.5.1976

जारी होना जाहिर किया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत में उक्त कथित पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 13.6.2016को ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को सूचित किया कि अप्रार्थीगण के पिता के नाम पट्टा सं.15 दिनांक 19.5.1976 के सबंध में पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में कथित पट्टा सं.15 दिनांक 19.5.1976 को निरस्त करने हेतु एक पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र दिनांक 13.6.2016को प्रस्तुत किया तथा साथ में स्थगन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.6. 2016को यथास्थिति का आदेश पारित करते हुए विवादित भूमि अप्रार्थीगण मौके की यथास्थिति यथावत् बनाये रखते हुए निर्माण कार्य आगामी तारीख पेशी 30.6.2016 तक नही करेंगे तथा आदेशिका की प्रति सरपंच ग्राम पंचायत बादनवाडी को पालनार्थ भेजी गई। इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति का आदेश दिनांक 13.6.2016 की पालना सुनिश्चित करने हेतु सरपंच,ग्राम पंचायत बादनवाडी द्वारा दिनांक 14.6.2016को प्रार्थीगण व मौतबिरान् के रूबरू अप्रार्थीगण नाथूसिंह व पोपटसिंह को आदेश दिनांक 13.6.2016की प्रति देते हुए आदेश की पालना में निर्माण कार्य करने से मना किया मगर अप्रार्थीगण द्वारा आदेश की प्रति लेने से इन्कार करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा आदेश की एक प्रति विवादित स्थल के नजदीक चस्पा कर विवादित स्थल के छायाचित्र लिये गये, अप्रार्थीगण द्वारा भी सरपंच,ग्राम पंचायत बादनवाडी को भी निर्माण कार्य बन्द करने से मना किया। दिनांक 16.6.2016को अप्रार्थीगण नाथूसिंह व पोपटसिंह द्वारा विवादित स्थल में दिनांक 14.6.2016तक अवैध रूप से निर्मित की गयी चार दिवारी पर ईटो को जमाकर तथा विवादित स्थल में घरेलु सामान रखकर एवं भारी मात्रा में निर्माण सामग्री डालकर मौके की स्थिति में भारी रद्दोबदल कर रहे है, अतः अप्रार्थी स.1व 2द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश दिनांक 13.6.2016 के विपरीत मौके की स्थिति में भरी रद्दोबदल कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने से अप्रार्थी सं.1 व 2 की अचल सम्पति कुर्क की जावे व विवादित स्थल की दिनांक 13.6.2016 की मौका स्थिति अप्रार्थीगण के खर्चे से बहाल करावें। प्रार्थीगण ने इस प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र तथा फहरिस्त क साथ स्थगन प्रार्थनापत्र दिनांक 13.6.2016 की प्रमाणित प्रति पेश की, इस पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

2. अप्रार्थी सं.1 व 2 की ओर से श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,वकील ने एक तरफा कार्यवाही निरस्त कर सुनवाई का अवसर दिलाने हेतु . प्रार्थनापत्र दिनांक 31.10.2017को पेश किया जो बाद सुनवाई के दि.15.7.19 को खारिज किया गया।

3. प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया व विवादित स्थल की दिनांक 13.6.2016 की मौका स्थिति अप्रार्थीगण के खर्चे से बहाल करने हेतु निवेदन किया।

4. प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अवमानना प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 2–ए सी.पी.सी. के तहत् प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थनापत्र में अप्रार्थीगण पर इस न्यायालय के यथास्थिति रखने के आदेश दिनांक 13.6.2016 के आदेश की प्रति लेने से इन्कार करने तथा निर्माण कार्य दिनांक 14.6.2016 तक जारी रखने का आरोप लगाया गया , उक्त प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा थानाराम व हेमराज के शपथपत्र तथा कुछ फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये तथा आदेश दिनांक 13.6. 2016 की सचिव, ग्राम पंचायत बादनवाडी द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें इस न्यायालय का आदेश दिनांक 13.6.2016 की प्रति ग्राम पंचायत को पृष्ठांकित की है,इसमें सरपंच ,ग्राम पंचायत बादनवाडी श्री मदनसिंह द्वारा अप्रार्थी नाथूसिंह व पोपटसिंह द्वारा आदेश लेने से इन्कार का अंकन है,तथा पदमाराम का अंगुष्ठ निशान है,। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 8.11.2016 से 7.2.2017 तक अवसर प्रदान किया गया किन्तु साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य बंद की गई, प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा शपथपत्र के अलावा न्यायालय की अवमानना को सिद्ध करने के लिए न तो स्वयं के बयान करवाये तथा न ही स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य करवाई है जिससे यह साबित हो सके कि न्यायालय के आदेश दिनांक 13.6.2016 की किस प्रकार अवहेलना की गयी। अतःप्रार्थीगण का धारा 39 नियम 2–ए सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र दिनांक 17.6.2016(प्रस्तुत दिनांक 20.6.16) खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 30.9.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.19 16:58:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: